राजस्व लोक अदालतअभियान
न्यायआपकेद्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
18/2013/वाद पत्र	25.02.2013	07.06.2017

उनवान

1–2 रामेश्वर, हाथी पिता भूरा ब्राम्हण नि0 कादीसहना तह0 शाहपुरा
– वादीगण

बनाम

1– काना पिता मदन ब्राम्हण नि0 कादीसहना तह0 शाहपुरा
2–3 बालु, बजरंग पिता कजोड़ ब्राम्हण निवासी कादीसहना तह0 शाहपुरा
4– तहसीलदार, शाहपुरा
– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188–53–54 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री अनिल शर्मा : अधिवक्ता वादीगण
2. श्री काना : प्रतिवादी नं0 1

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89–188–53–54 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की भूमि वाके ग्राम माल खेड़ा प0ह0 डाबला चान्दा तहसील शाहपुरा की आ0न0 148/1066 रकबा 0.28 है0, 156 रकबा 0.90 है0, 159 रकबा 0.22 है0, 163 रकबा 0.88 है0 कुल किता 4 रकबा 2.28 है0 स्थित है। जो आराजी नम्बर 258/2 रकबा 9 बीघा एवं आ0न0 258/1 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा के है जिसका इन्द्राज संवत 2028 से 31 की जमाबन्दी मे दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजी मे वादीगण का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3 का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 काना पिता मदन ब्राम्हण ने दिनांक 01.05.1973 को उक्त आराजीयात मे अपना 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के 4 बीघा 09 बिस्वा को रामकुंवार, छोटू पिता किशन मीणा को बेचान कर दिया। इस प्रकार उक्त कृषि आराजीयात मे प्रतिवादी नं0 1 का कोई हक हिस्सा नही रहा और वर्तमान आराजीयात मे वादीगण का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिये लेकिन वादीगण का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी 2 व 3 का 1/3 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादी नं0 1 का मौका पर कोई कब्जा नही है। अतः राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी नं0 1 का नाम हटाया जावे। अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद की कलम संख्या 2 मे वर्णित आराजीयात किता 4 रकबा 2.28 है0 मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को किसी प्रकार से बेदखल नही करे तथा उपयोग उपभोग मे बाधा नही डाले व अन्य किसी को रहन, बय बक्षीस से अन्तरित नही करे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 11.03.2014 को प्रतिवादीगण 1, 3 व 4 उपस्थित हुये। प्रतिवादी नं0 2 उपस्थित नही है। दिनांक 30.05.2013 को प्रतिवादी नं0 1, 3 की ओर से अभिभाषक श्री दिनेश व्यास ने अधिकार पत्र पेश किया। जवाब दावा हेतु अवसर की मांग की। दिनांक 18.07.2013 को प्रतिवादीगण 1, 3 व 4 का जवाब दावा बन्द किया जाकर प्रकरण साक्ष्य वादीगण के नियत किया गया। दिनांक 13.08.2013 को अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जवाब रेकार्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया। दिनांक 23.04.2014 को अभिभाषक वादीगण द्वारा सहमति प्रकट करने से जवाब रेकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण कायमी तनकीयात के नियत किया गया। दिनांक 15.03.2016 को प्रकरण मे निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वाद की कालम संख्या 2 मे वर्णित आराजी 2.28 है0 मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण के नाम 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे।
   — जिम्मे वादीगण
2. आया प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को किसी प्रकार मौके से बेदखल नही करे, उपयोग उपभोग मे बाधा नही ड़ाले व अन्य किसी को रहन बय, बक्षीस से अन्तरित नही करे।
   —जिम्मे वादीगण
3. आया वाद हेतुक के अभाव मे वादी का वाद पत्र पोषणीय नही
   — जिम्मे प्रतिवादीगण नं0 1 व 3
4. आया वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति से ही उक्त जमाबन्दी मे नाम दर्ज राजस्व कर्मियों ने व तद्नुसार ही पक्षकारान काबिज होकर अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।
   — जिम्मे प्रतिवादीगण नं0 1 व 3
5. दादरसी।

दिनांक 07.06.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार– 2017 अटल सेवा केन्द्र डाबला चान्दा पर पेश हुआ। अभिभाषक वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 उपस्थित हुये। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वाद पत्र स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति प्रकट की गई। प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी संवत 2028–31 ग्राम मालखेड़ा ख0न0 258 रकबा 13 बीघा 09 बिस्वा रामेश्वर, उॅकार, हाथी पिता भूरा 1/3 हि0ब0 खाना पिता मदन 1/3 हि0ब0 ब्राम्हण सा0 कादीसहना कालू,बजरंग पिता कजोड़ 1/3 ब्राम्हण सा0 कादीसहना दर्ज रेकार्ड है। जरिये बिकाव से इन्तकाल नं0 140 से खातेदार खाना पिता मदन ने अपने हिस्से की 1/3 हिस्सा रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा रामकुंवार, छोटू पिता श्रीकिशन मीणा को बिकाव कर कब्जा दे दिया। जमाबन्दी संवत 2032–35 ग्राम मालखेड़ा आ0न0 258 मी0 रकबा 9 बीधा भूमि शेष रही जिसमे खाना पिता मदन का 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि खाना द्वारा उसके हिस्से की भूमि विक्रय कर देने से उसका नाम नही आना चाहिये था। जबकि रामेश्वर, उॅकार, हाथी पिता भूरा

उपखण्ड अधिकारी ...
सहायक कलेक्टर
...

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्यायआपकेद्वार-2017

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री के आर [illegible], RAS

1 श्री [illegible] ... बनाम श्री [illegible]

[illegible]

[illegible] शाहपुरा

2-3 [illegible]

[illegible] शाहपुरा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 89 - 188 - 53 - 54 [illegible]

मुकदमा नम्बर 18 सन् 13 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :-

[illegible] शाहपुरा की आ० नं० 148/1066 रकबा 0-28 है, 156 रकबा 0-90 है, 163 रकबा 0-88 है, 159 रकबा 0-22 है कुल किता 4 रकबा 2.28 है [illegible] 1/2 हिस्सा [illegible] 1/2 हिस्सा [illegible] शाहपुरा [illegible]

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सूलयाबी तक अदा करें ।

आज मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 7 माह 6 सन् 17

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)